



प्रेसनोट थाना पुवायाँ



जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 20.04.2026

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन कराने वाले अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन कराने वाले अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.04.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस मै 30नि0 मय हमराही के गोपनीय तरीके से जानकारी कि गयी तो लोगो के द्वारा नाम पता न बताने कि शर्त पर बताया कि साहब यंहा पर धर्मान्तरण का कार्य किया जाता है और उक्त कार्य नमद्वीप पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम पिपरिया कप्तान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी , रचिन पुत्र अहिवरन लाल उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर , बटेश्वर पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर , बिन्दरलाल निवासी ग्राम महुआ पाठक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा गाँव के गरीब अनुसूचित जाति के अनपढ़ लोगो व नाबालिग बच्चों को झूठे प्रलोभन व आश्वासन देकर फोटो व वीडियो का दुरुपयोग कर इलाज के नाम पर ईसाई धर्म मे परिवर्तन करवाने व अपना धर्म छोड़कर ईशु कि शरण मे आने के लिए उकसाने कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद उक्त लोगो के परिवार जन व आस पास के लोगो के द्वारा पूछताछ हेतु सूचना भेजी गयी। जिसके बाद सूचना मिलने पर नमद्वीप पुत्र जसवन्त, रचिन पुत्र अहिवरन , बटेश्वर पुत्र मेवाराम के दिनांक 19.04.2026 को समय करीब 17.30 बजे थाना हाजा उपस्थित आने पर जब उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे उक्त लोगो से पूछताछ कर उनके विरुद्ध वादी सौरभ वर्मा पुत्र सुरजीत कुमार वर्मा निवासी ग्राम चुरहा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 234/2026 अन्तर्गत धारा 3/5(1) 30प्र0विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम 1.नमद्वीप पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम पिपरिया कप्तान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी , रचिन पुत्र अहिवरन लाल उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर , बटेश्वर पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर , बिन्दरलाल निवासी ग्राम महुआ पाठक थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत होने के सम्बन्ध मे बताया गया तो। मुकदमा

पंजीकृत व दौराने पूछताछ उक्त लोगों द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया गया कि साहब हम इस धर्म से करीब पिछले वर्ष जुडे थे हमे वंहा से प्रलोभन दिया गया कि आप भी ये काम कराओगे तो आपकी हर तरीके की मदद कि जायेगी तो साहब हम भी इसी काम मे लग गये । प्राप्त जानकारी एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि उक्त अभियुक्तो के द्वारा विधि विरूद्ध धर्मान्तरण जैसा संज्ञेय अपराध कारित किया जाना पाया गया । जिस कारण निगरानी में बैठे थाने पर मौजूद 1.नमद्वीप पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम पिपरिया कप्तान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी ,2. रचिन पुत्र अहिवरन लाल उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ,3. बटेश्वर पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर जिनको कारण गिरफ्तारी व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो व निर्देशो से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लेकर हवालात मर्दाना किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.नमद्वीप पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम पिपरिया कप्तान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी उम्र करीब 30 वर्ष
2. रचिन पुत्र अहिवरन लाल उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष
3. बटेश्वर पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

मु0अ0सं0 234/2026 अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विशाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2112 सचिन कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर